

संख्या- 10 /2025/ 314 /001-53-2002-002-1-2024-44(बजट)/2018

प्रेषक,

राम सहाय यादव,  
विशेष सचिव,  
उ०प्र० शासन ।

सेवा में,

दुग्ध आयुक्त,  
दुग्धशाला विकास,  
उ०प्र०, लखनऊ।

दुग्ध विकास अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक 02 मई, 2025

**विषय:-** वित्तीय वर्ष 2025-26 में उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद को वित्तीय सहायता योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम किश्त की वित्तीय स्वीकृति। (राज्य योजना, अनुदान संख्या-16)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-15/दुग्ध-4/नियो०/उ०प्र०रा०दु०परि०वि०सहा० (237)/25-26, दिनांक 25 अप्रैल, 2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-16 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद को वित्तीय सहायता योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि ₹0 89.15 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में धनराशि ₹0 44.22 लाख (रूपये चौवालीस लाख बाइस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

**नियम व शर्तें/प्रतिबन्ध**

- (1) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।
- (2) पूर्व में अवशेष धनराशि के उपभोगोपरान्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा।
- (3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का निर्धारित मद से इतर किसी अन्य मद में किये जाने वाला व्यय वित्तीय अनियमितता माना जायेगा।
- (4) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु दी जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी मद/कार्य हेतु किया जायेगा तथा मानक मद से विचलन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।
- (5) दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ०प्र० यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य/मद हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की

- गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में सम्मिलित है ।
- (6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय अनुमोदित परियोजना/प्रस्ताव, राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों/गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा ।
- (7) प्रस्ताव में आंकड़ों की शुद्धता का दायित्व दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ०प्र० का होगा ।
- (8) वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ०प्र० का उत्तरदायित्व होगा ।
- (9) वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ०प्र० के स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है ।
- (10) विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये ।
- (11) कोषागार से एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाये, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के कैश मैनेजमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- (12) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।
- (13) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025, में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।
- 2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 44,22,000 (रुपये चौवालीस लाख बाईस हजार मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 016 लेखा शीर्षक 2404001021000 उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद को वित्तीय सहायता मानक मद 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by  
Ram Sahay Yadav (राम सहाय यादव)  
Date: 02-05-2025 17:44:16 विशेष सचिव।

संख्या- 10 /2025/314(1) /001-53-2002-002-1-2024, तद्विनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, 30प्र0 प्रयागराज ।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय 30प्र0 लखनऊ/प्रयागराज ।
3. सचिव, 30प्र0 राज्य दुग्ध परिषद, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय परियोजना, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5. वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास, 30प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/2, वित्त (व्यय-नियन्त्रण)अनु0-1, नियोजन अनु०-3,30प्र0शासन ।
8. आहरण एवं वितरण अधिकारी, दुग्धशाला विकास, 30प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ ।
9. वेब मास्टर, दुग्धशाला विकास, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
पंकज कुमार सिंह  
अनु सचिव।